



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पे & अलावनसेस/ 17/5732 दिनांक:-22.06.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-173/2018

विषय:-Ration Money Allowance during leave other than LAP.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2 दिनांक 14.06.2018, RBE No. 88/2018 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1.	E(P&A)I-2005/All/RPF-2 dated. 10.06.2009	135/2009

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृष्ठ)

(प्रदीप मिश्रा)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

E/R No - 173 / 2018

RBE No. 88 /2018

New Delhi, dated: 14 .06.2018

No. E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways and Production Units.

Sub: Ration Money Allowance during leave other than LAP.

Intergal Coach Factory, Chennai had sought clarification, whether RPF staff are eligible for payment of Ration Money Allowance during their leave period other than Leave on Average Pay (LAP), i.e. Commuted Leave, Maternity Leave & Paternity Leave.

2. The matter has been examined in Board's Office in consultation with Ministry of Home Affairs. It is clarified that no Ration Money Allowance is admissible to RPF personnel during Commuted Leave, Maternity Leave and Paternity Leave.

3. The other terms and conditions as stipulated in para 4 of Board's letter of even number dated 10.06.2009 remain unchanged. 135/09

4. This disposes off Intergal Coach Factory's letter No. PB/CBS/RB dated 11.12.2017.

5. Please acknowledge receipt.



(N P Singh)

Jt. Directorate/E(P&A),
Railway Board.

No. E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2

New Delhi, dated 14 .06.2018

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).



for Financial Commissioner/Railways

No. E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2

New Delhi, dated 14 .06.2018

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR, R.No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).

173/18
P/L

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 88 /2018

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2005/एएलएल/आरपीएफ-2

नई दिल्ली, दिनांक 14.06.2018

महाप्रबंधक एवं प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: औसत वेतन अवकाश के अलावा अन्य छुट्टियों के दौरान राशन राशि भत्ता

सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नई ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या रेल सुरक्षा बल के कर्मचारी औसत वेतन अवकाश (एलएपी) के अलावा अन्य छुट्टी, जैसेकि परिवर्तित छुट्टी, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश के दौरान राशन राशि भत्ता के भुगतान के लिए पात्र हैं।

2. इस मामले की गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके बोर्ड कार्यालय में जांच की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि परिवर्तित अवकाश, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश के दौरान रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को कोई राशन राशि भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

3. बोर्ड के दिनांक 10.06.2009 के समसंख्यक पत्र के पैरा 4 में यथा निर्धारित अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. इससे सवारी डिब्बा कारखाना के दिनांक 11.12.2017 के पत्र सं. पीबी/सीबीएस/आरबी का निपटारा हो जाता है।

5. कृपया पावती दें।

(एन पी सिंह)

संयुक्त निदेशक/स्था.(पी एण्ड ए)

रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2005/एएलएल/आरपीएफ-2

नई दिल्ली, दिनांक 14.06.2018

भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को
प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें